दिनांक: 21 मई, 2025

राष्ट्रीय दलों के फंडिंग के स्त्रोतों का विश्लेषण: वित्तीय वर्ष -2023-24

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स

द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट

प्लॉट नं. ई-5, चौथी मंज़िल, लेन-1, वेस्टएंड मार्ग, सैदुलाजाब,

(साकेत मेट्रो गेट नं. 2 के पीछे) नई दिल्ली – 110030

ईमेल: adr@adrindia.org; दूरभाष : 011-4165 4200

राष्ट्रीय दलों के फंडिंग के स्त्रोतों का विश्लेषण : वित्तीय वर्ष -2023-24

प्रस्तावना

लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी अहम होती है वे चुनाव लड़ते हैं और सरकार बनाकर नीतियों का गठन करके आम आदमी की समस्याओं का निदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं | राजनीतिक दलों को अपनी नीतियों और लक्ष्यों को जनता तक पहुचाने के लिए धन की आवश्यकता होती है | यह धन राजनीतिक दल कहा से एकत्रित करते हैं?

उनके ऑडिट रिपोर्ट और भारत के चुनाव आयोग (ECI) में दायर चंदा विवरण का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि इन स्रोतों का **कुछ हिस्सा अब भी अज्ञात** बना हुआ है। वर्तमान में, राजनीतिक दलों को **रु** 20,000 से कम देने वाले व्यक्तियों या संगठनों के नाम सार्वजनिक करने की आवश्यकता नहीं है। इसके परिणामस्वरूप, कुल चंदे का **3.425% या रु 199.3683 करोड़** हिस्सा 'अज्ञात स्रोतों' से आता है। हालाँकि, जून 2013 में राष्ट्रीय दलों को सीआईसी के फैसले से आरटीआई के तहत लाया गया था लेकिन राष्ट्रीय दलों ने, दुर्भाग्यपूर्ण, इस निर्णय का पालन नही किया है | मौजूदा कानून के तहत दलों की धन राशि में पारदर्शिता संभव नही है, यह केवल आरटीआई से ही जनता को सारी जानकारी प्राप्त हो सकती है |

हालाँकि, पिछले वर्ष चुनावी बांड डेटा सार्वजनिक होने के बाद, राजनीतिक पार्टियों की 'अज्ञात स्रोतों' से होने वाली आय के अनुपात में उल्लेखनीय कमी आई है। इससे राजनीतिक दलों के बीच वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही धीरे-धीरे बढ़ी है। यह ध्यान देना ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चुनावी बांड से जुड़ा डेटा अब सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है। ऐसे में, इस रिपोर्ट के लिए चुनावी बांड के ज़रिए मिलने वाले दान को 'ज्ञात स्रोत' की श्रेणी में शामिल किया गया है | वर्तमान कानून के अनुसार, रु 20,000 से कम की दान राशि का विवरण राजनीतिक पार्टियों को सार्वजनिक रूप से देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा, 'इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम' के तहत घोषित दान में भी यह जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती कि किस कंपनी या व्यक्ति ने किस राजनीतिक पार्टी को दान दिया है |

एडीआर के अवलोकन

- वित्तीय वर्ष 2004-05 से 2023-24 के बीच, सभी राष्ट्रीय दलों ने अज्ञात स्त्रोतों से कुल मिलाकर **रु 10,753.09 करोड़** (चुनावी बांड को हटाकर) की आय एकत्र की है |
- वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, सीपीआई(एम) ने 'अज्ञात स्रोतों' से सबसे अधिक **रु 82.0759 करोड़** की आय घोषित की, इसके बाद कांग्रेस ने **रु 78.7298 करोड़**, बीजेपी ने **रु 37.6037 करोड़**, आम आदमी पार्टी ने **रु 0.93 करोड़** और एनपीईपी ने **रु 0.0289 करोड़** की आय घोषित की। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि प्रमुख राजनीतिक दलों के लिए वित्तीय सहायता का एक हिस्सा अब भी अघोषित स्रोतों से आता है।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, **कांग्रेस** और **सीपीआई (एम)** ने कुल मिलाकर **रु 69.8816 करोड़** की आय **कूपन की बिक्री** से अर्जित की हैं |

राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की ज्ञात, अज्ञात और अन्य दूसरे ज्ञात स्त्रोंतों से आय

- राजनीतिक दलों को रु 20,000 से अधिक के दान देने वाले दान दाताओं का विवरण चुनाव आयोग को वार्षिक जमा करना आवश्यक है | दान रिपोर्ट में दलों को दान देने वाले दान दाता का नाम, पता, PAN, राशि, और भुगतान का माध्यम आदि जानकारी देनी होती है | यह दलों के आय का एकमात्र **ज्ञात स्त्रोत** है |
- **अज्ञात स्त्रोतों** की जानकारी दलों द्वारा घोषित आयकर विवरण से लिया जाता है | रु 20,000 से कम दान का विवरण ना ऑडिट रिपोर्ट में और ना ही दान रिपोर्ट में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध है | इन दानों को अज्ञात स्त्रोत माना जाता है | **अज्ञात स्त्रोंतों** में 'कूपन की बिक्री', 'राहत कोष', 'विविध आय', 'स्वैच्छिक योगदान', 'बैठकों/मोर्चों से प्राप्त योगदान' आदि शामिल होते हैं। फरवरी 2024 से पहले इसमें 'चुनावी बॉन्ड के ज़रिए मिलने वाले दान' भी शामिल थे, जिन्हें अब प्रतिबंधित कर दिया गया है। ऐसे स्वैच्छिक योगदान देने वालों का विवरण सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं होता।
- राजनीतिक दलों के आय के **अन्य ज्ञात स्त्रोतों** में चल और अचल संपत्ति, पुराने अखबार, सदस्यता शुल्क, डेलिगेट फी, बैंक ब्याज, सेल ऑफ़ पब्लिकेशन्स और लेवी आदि विवरण की जानकारी दलों के बही खातों में किया होता है |
- इस रिपोर्ट में, सभी **6 राष्ट्रीय दलों** (बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआई(एम), बीएसपी, आम आदमी पार्टी और एनपीईपी) का विश्लेषण किया गया है जिनका ऑडिट रिपोर्ट और दान रिपोर्ट चुनाव आयोग की वेबसाइट में उपलब्ध है | ***बीएसपी पार्टी** ने अपने ऑडिट रिपोर्ट में घोषणा कि है की पार्टी को अज्ञात स्त्रोतों (स्वैच्छिक योगदान (रु 20,000 से ऊपर या कम), कूपन और चुनावी बांड्स आदि) से कुछ भी आय प्राप्त नहीं हुआ है|* **बीएसपी पार्टी** को **अन्य ज्ञात स्त्रोतों** से ही कुल आय (रु 64.7798 करोड़) प्राप्त हुई है**,** जिसमें बैंक ब्याज से **रु 38.1893 करोड़**, सदस्यता शुल्क से - **रु 26.59 करोड़** और **प्रतिभूतियों पर अर्जित ब्याज आय** से **रु 5 हजार** शामिल हैं |
- वित्तीय वर्ष 2023-24 में **6 राष्ट्रीय दलों** की कुल आय **रु 5820.912 करोड़** थी |
- **ज्ञात स्त्रोत** से राष्ट्रीय दलों की कुल आय में से **43.71%** यानि **रु 2544.278 करोड़** की राशि प्राप्त हुई है |
- राष्ट्रीय दलों के कुल आय का **9.502%** यानि **रु 553.1298 करोड़** की राशि **अन्य ज्ञात स्त्रोतों** (अचल संपत्ति, ओल्ड न्यूज़पेपर्स, सदस्यता शुल्क, डेलिगेट फी, बैंक ब्याज, सेल ऑफ़ पब्लिकेशन्स और लेवी आदि) से प्राप्त हुई |
- **अज्ञात स्त्रोतों** (आय का विवरण है लेकिन स्त्रोत का नहीं) से राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को कुल आय का **3.425%** यानि **रु 199.3683 करोड़** की राशि प्राप्त हुई है |

Sources of income of National Parties for FY 2023-24					
National Parties	Income from Known sources (donations details declared to ECI)	Income from Other known sources*	Income from Electoral Bonds	Income from Unknown Sources (as per Audit reports)	Total Income
	Rs 2544.278 cr	Rs 553.1298 cr	Rs 2524.136 cr	Rs 199.3683 cr	**Rs 5820.912 cr**
Percentage share	43.71%	9.502%	43.363%	3.425%	**100%**

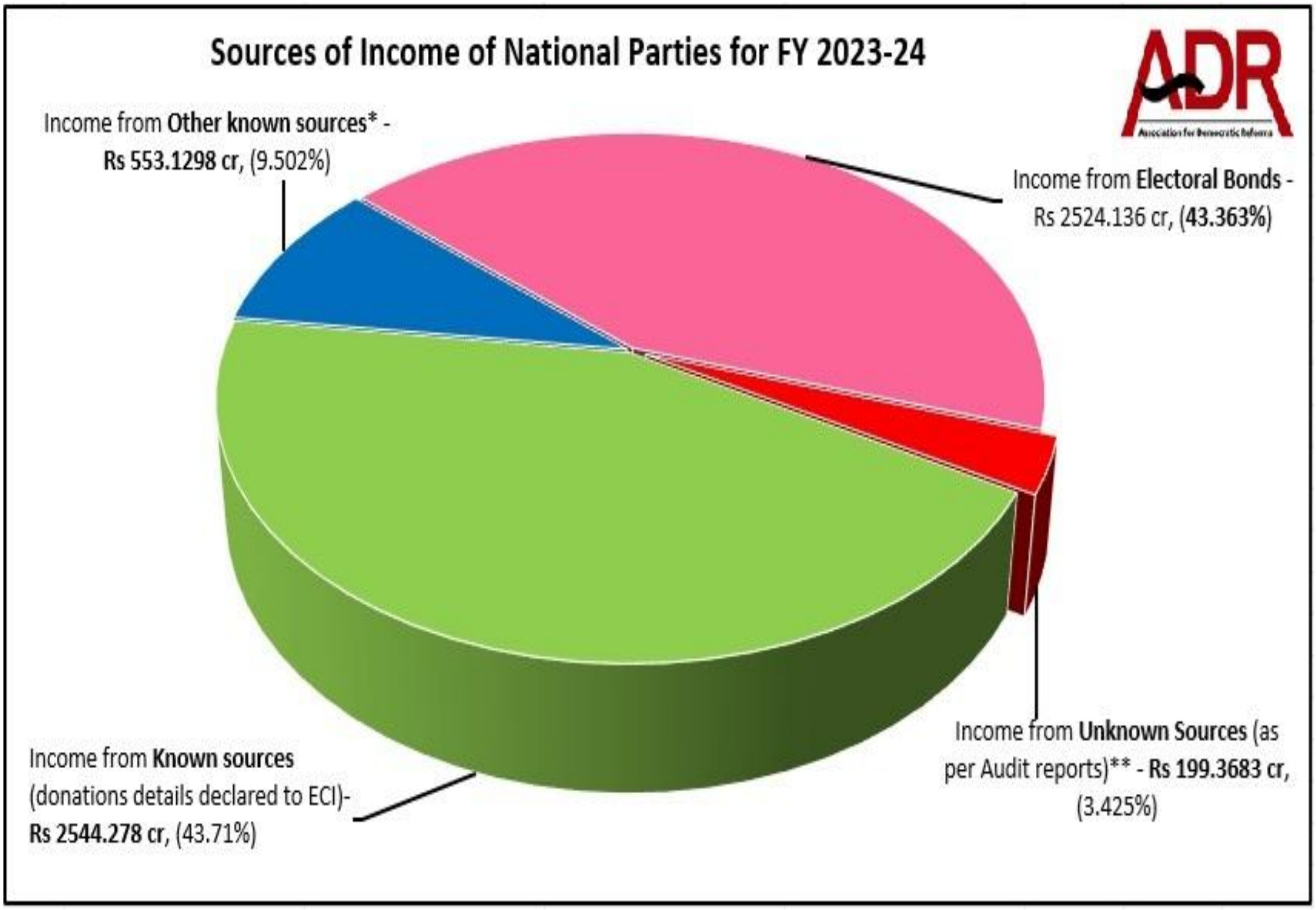

*अन्य ज्ञात आय में शामिल हैं : पुराने समाचार पत्र, सदस्यता शुल्क, प्रतिनिधि शुल्क, बैंक ब्याज, प्रकाशनों की बिक्री और लेवी
अज्ञात स्त्रोतों से आय का विवरण **अनुबंध -1 में दिया गया है; पार्टी वॉर के स्त्रोत **अनुबंध- 2** में दिए गए हैं

अज्ञात स्त्रोतों से राष्ट्रीय दलों की आय:

- 6 राष्ट्रीय दलों को प्राप्त कुल आय में से **रु 199.3683 करोड़** अज्ञात स्त्रोतों से प्राप्त हुआ, जो कुल राशि का **3.425%** है।
- अज्ञात स्त्रोतों के माध्यम से 6 राष्ट्रीय दलों ने **62.99% (**रु 125.587 करोड़) की राशि स्वैच्छिक योगदान (रु 20,000 से कम) से एकत्रित की है, जबकि कांग्रेस और सीपीआई(एम) ने **35.05%** (रु 69.8816 करोड़) की राशि कूपन की बिक्री से अर्जित की है।

Unknown Sources as per the audit reports of National Parties, FY 2023-24 (in Rs cr)				
National Political Parties	Voluntary Contributions (below Rs 20,000)	By Collection from Sale of Coupons	Miscellaneous Income	Total Income from Unknown sources
	125.587	69.8816	3.8997	**Rs 199.3683 cr**
Percentage share	62.99%	35.05%	1.96%	**100%**

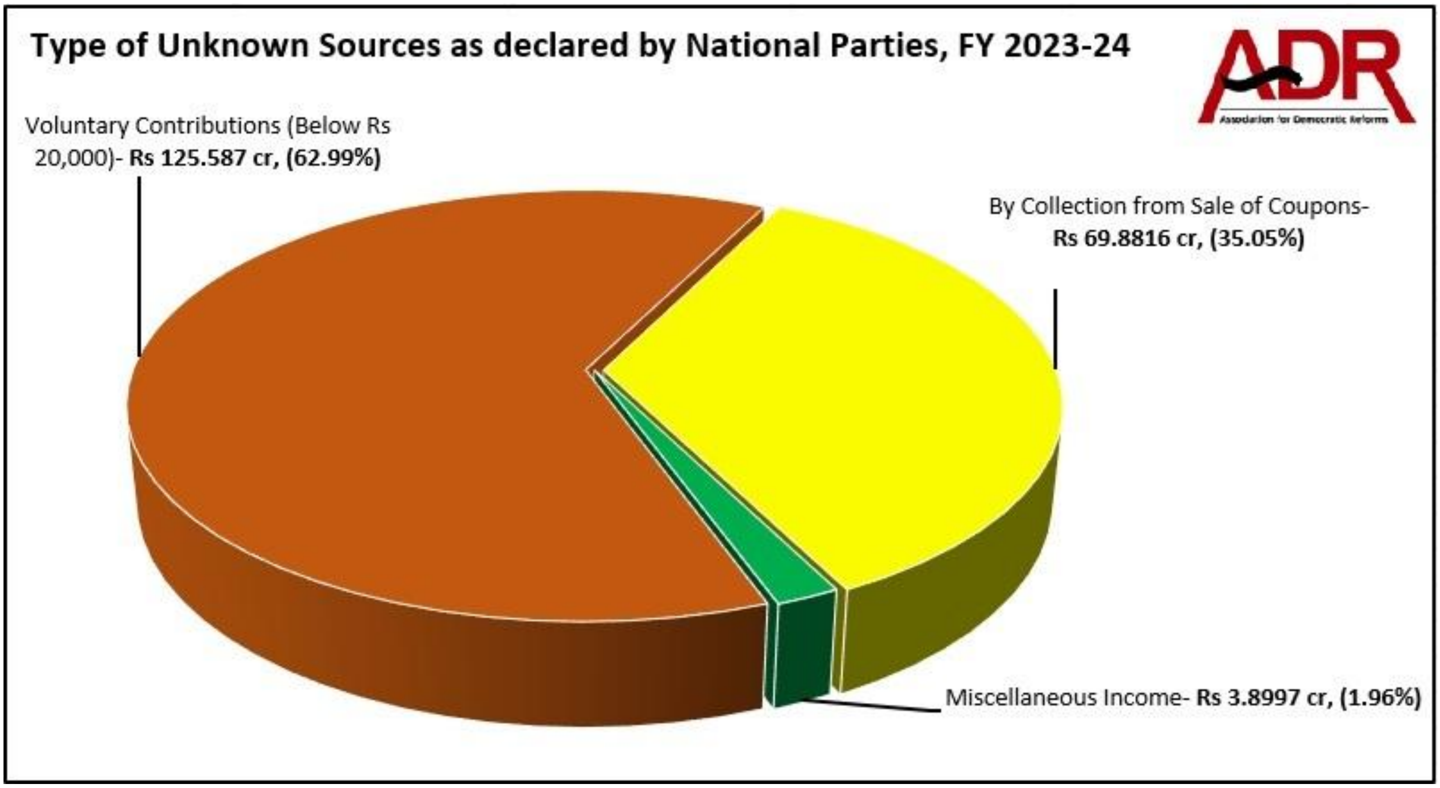
Type of Unknown Sources as declared by National Parties, FY 2023-24
ADR Association for Democratic Reforms
Voluntary Contributions (Below Rs 20,000)- Rs 125.587 cr, (62.99%)
By Collection from Sale of Coupons- Rs 69.8816 cr, (35.05%)
Miscellaneous Income- Rs 3.8997 cr, (1.96%)

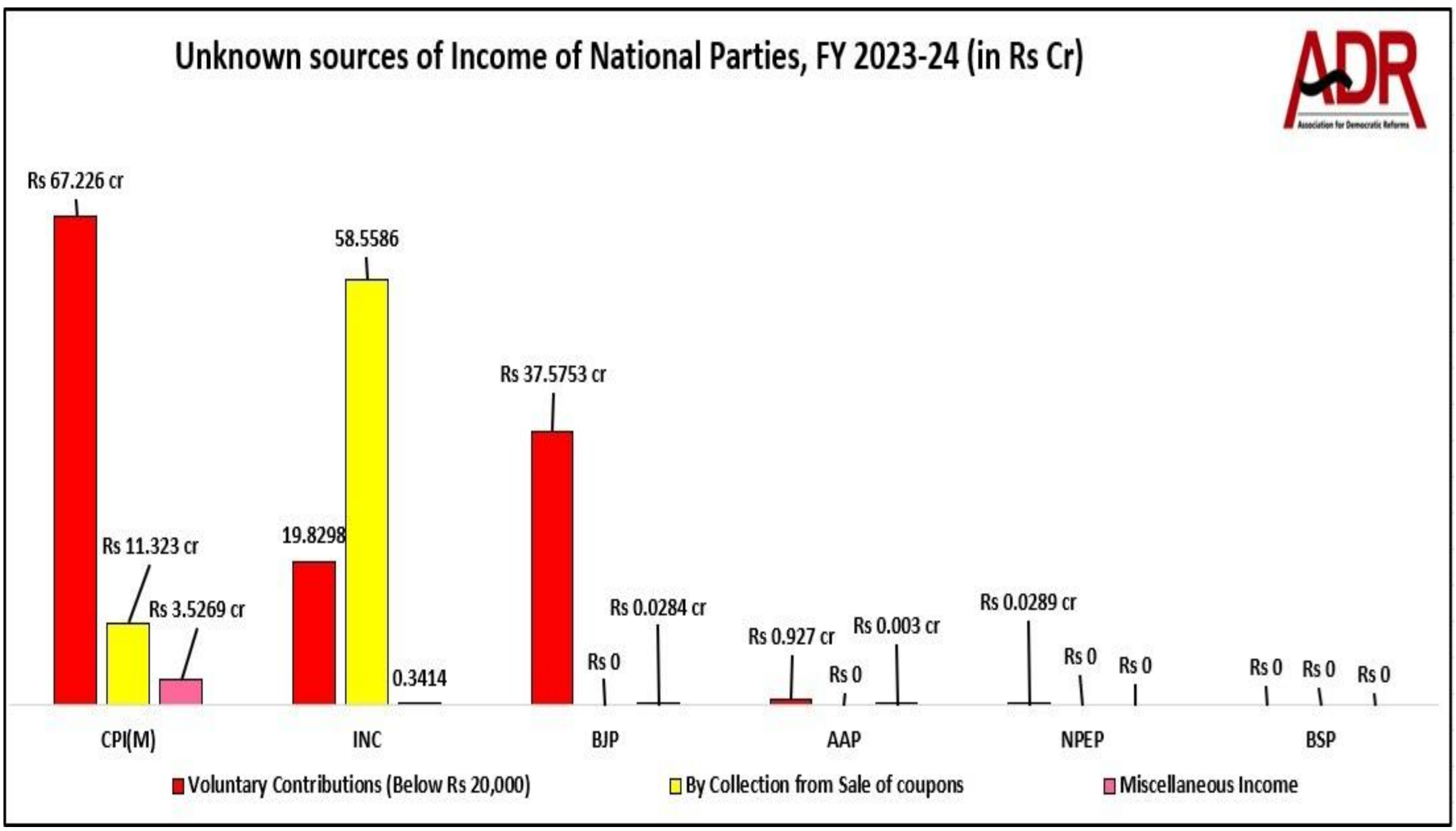
Unknown sources of Income of National Parties, FY 2023-24 (in Rs Cr)
ADR
Rs 67.226 cr
Rs 11.323 cr
Rs 3.5269 cr
19.8298
58.5586
0.3414
Rs 37.5753 cr
Rs 0
Rs 0.0284 cr
Rs 0.927 cr
Rs 0
Rs 0.003 cr
Rs 0.0289 cr
Rs 0
Rs 0
Rs 0
Rs 0
Rs 0
CPI(M)
INC
BJP
AAP
NPEP
BSP
Voluntary Contributions (Below Rs 20,000)
By Collection from Sale of coupons
Miscellaneous Income

एडीआर की सिफारिशें

- राजनीतिक दलों की आय का एक निश्चित प्रतिशत हिस्सा मूल दानदाता से नहीं जुड़ पाता, इसलिए सभी दानदाताओं का पूरा विवरण सार्वजनिक जांच के लिए **सूचना का अधिकार** के तहत उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- आय के सभी स्त्रोतों की जानकारी जैसे सभी तरह के चंदा/दान (रु 20,000 से अधिक या कम), कूपन की बिक्री से आय, सदयस्ता शुल्क आदि आय के स्त्रोतों की जानकारी दलों को अपने ऑडिट रिपोर्ट के अनुसूचियों/ सलंगनों में घोषित करनी चाहिए |
- हाल ही में चुनाव आयोग ने यह सुझाव दिया है की केवल उन्ही दलों को कर में 100% छूट दी जानी चाहिये जो विधान सभा और लोक सभा चुनाव लडें और सीट जीतें | साथ ही साथ यह भी सुझाव दिया है की सभी राजनीतिक दलों को रु 2000 से अधिक दान देने वाले दानदाता की पूरी जानकारी सार्वजानिक रूप से उपलब्ध होनी चाहिये | राजनीतिक दलों के वित्त व्यवस्था में सुधारों के लिये चुनाव आयोग द्वारा लिए गए कदम को एडीआर पूर्ण समर्थन करता है |
- राजनीतिक दलों की धनराशि में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने के लिए दलों द्वारा घोषित सारे वित्त संबंधी दस्तावेजों को CAG और चुनाव आयोग द्वारा स्वीकृत संस्था को वार्षिक रूप से जाँच करनी चाहिये |
- राजनीतिक दलों को सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निरन्तर तौर पर जानकारी प्रदान करनी चाहिए | ऐसा करने से ही राजनीतिक दल, सूचना प्रक्रिया एवं लोकतंत्र सशक्त होगा | हालाँकि इस तरह की जानकारी, सूचना के कानून के तहत आये या नहीं पर राजनीतिक दलों को स्वेच्छा से प्रत्येक रूपये का हिसाब देना चाहिए जो उन्हें मिलता है या उनके द्वारा खर्च होता है |

अस्वीकरण

रिपोर्ट में उपयोग किए गए डाटा का स्त्रोत राष्ट्रीय राजनीतिक दलों द्वारा आयकर विभाग और भारत चुनाव आयोग को प्रस्तुत वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट और दान रिपोर्ट से लिया गया है | एडीआर किसी भी जानकारी को अपने रिपोर्ट में तब तक नहीं जोड़ता या घटाता है जब तक चुनाव आयोग डाटा में बदलाव नहीं करता | विशेष रूप से, किसी अन्य स्त्रोत से किसी भी असत्यापित जानकारी का उपयोग नहीं किया जाता है | इस डाटा को https://myneta.info/party और चुनाव आयोग के **वेबसाइट** (**ऑडिट** रिपोर्ट और **दान** रिपोर्ट) में देख सकते हैं | डाटा को सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं और यह जानकारी राजनीतिक दलों द्वारा प्रस्तुत विवरणों में उल्लेखित आकड़ों के अनुरूप है | यदि इस रिपोर्ट में दी गयी जानकारी और दलों के विवरणों में घोषित जानकारी में अंतर् पाया जाता है तो ऐसे मामलों में राजनीतिक दलों द्वारा दी गई जानकारी ही सही मानी जानी चाहिए | एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर), नेशनल इलेक्शन वॉच (एनईडब्लू) और उसके स्वयंसेवक इसके प्रकाशन से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से होने वाली किसी भी क्षति के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होंगे |

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एडीआर, भारत के चुनाव आयोग और सबंधित राज्य के मुख्य कार्यकारी अधिकारीयों के साथ प्रस्तुत राजनीतिक दलों के ऑडिट और योगदान रिपोर्ट के विश्लेषण और प्रसार में बहुत अत्यधिक सावधानी बरतता है | इस तरह की जानकारी का उद्देश्य केवल ***हमारी चुनावी और राजनीतिक प्रक्रिया में धन के बढ़ते दुरूपयोग को उजागर करना है ताकि पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन की प्रणाली को सुगम बनाया जा सके और मतदाताओं को एक सूचित विकल्प बनाने में सक्षम बनाया जा सके***| इसलिए, यह अपेक्षा की जाती है कि इस रिपोर्ट का उपयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति एडीआर द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा

का उपयोग करते समय उचित और अत्यधिक सावधानी बरतेगा | एडीआर किसी भी गलत तरीके से निपटने, विसंगति, समझने में असमर्थता, गलत व्याख्या या हेरफेर, डाटा को इस तरह से विकृत करने के लिए जिम्मेदार नहीं है ताकि किसी विशेष राजनीतिक दल या राजनेता या उम्मीदवार को लाभ या लक्षित किया जा सके |

सम्पर्क करें

नेशनल इलेक्शन वॉच (एनईडब्लू) और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर)

Media and Journalist Helpline +91 80103 94248 Email: adr@adrindia.org https://adrindia.org/about-adr/state-coordinators	**Maj. Gen Anil Verma (Retd.)** Head, NEW & ADR +91 87997 18472 anilverma@adrindia.org	**Prof Jagdeep Chhokar** IIM Ahmedabad (Retd.) Founder, NEW & ADR jchhokar@gmail.com	**Prof Trilochan Sastry** IIM Bangalore (Retd.) Founder, NEW & ADR tsastry@gmail.com

अनुबंध – 1

राष्ट्रीय दलों द्वारा घोषित दल-वार अज्ञात स्त्रोतों से आय : वित्तीय वर्ष – 2023-24

Unknown Sources of Income of National Parties during FY 2023-24 (in Rs cr)				Total Income from unknown sources
National Parties	Voluntary Contributions (Below Rs 20,000)	By Collection from Sale of coupons	Miscellaneous Income	
BJP	37.5753	0	0.0284	Rs 37.6037 cr
INC	19.8298	58.5586	0.3414	Rs 78.7298 cr
CPI(M)	67.226	11.323	3.5269	Rs 82.0759 cr
AAP	0.927	0	0.003	Rs 0.93 cr
NPEP	0.0289	0	0	Rs 0.0289 cr
BSP	0	0	0	Rs 0 cr
Total	Rs 125.587 cr	Rs 69.8816 cr	Rs 3.8997 cr	Rs 199.3683 cr

अनुबंध – 2

राष्ट्रीय दलों द्वारा घोषित आय के दल-वार स्त्रोत: वित्तीय वर्ष – 2023-24

Sources of income of National Parties during FY 2023-24 (in Rs cr)						
National Parties	Income from Known sources (donations details declared to ECI)	Income from Other known sources*	Donations received from Electoral Bonds	Income from Unknown Sources (as per Audit reports)	Total Income	Share of income from unknown sources
BJP	2243.947	373.2962	1685.6261	37.6037	Rs 4340.473 cr	0.866%
INC	281.48	36.5492	828.36	78.7298	Rs 1225.119 cr	6.426%
CPI(M)	7.641	77.9191	0	82.0759	Rs 167.636 cr	48.961%
BSP	0	64.7798	0	0	Rs 64.7798 cr	0%
AAP*	11.062	0.538	10.15	0.93	Rs 22.68 cr	4.101%
NPEP	0.148	0.0475	0	0.0289	Rs 0.2244 cr	12.879%
Total	Rs 2544.278 cr	Rs 553.1298 cr	Rs 2524.136 cr	Rs 199.3683 cr	Rs 5820.912 cr	3.425%

* आम आदमी पार्टी ने अन्य (चुनावी बांड/चुनावी ट्रस्ट) के अंतर्गत रु 10.15 करोड़ के चंदे की घोषणा की है लेकिन पार्टी ने चुनावी बांड की दानराशि अलग से घोषित नहीं की है|